

ज्ञापांक :- /अररिया

दिनांक :- /05/2023

कार्यालय आदेश

अद्योहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 211, दिनांक :- 22.05.2023 के आलोक में निम्न आरोपित छात्रों को 03 (तीन) दिनों के अन्दर अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था। प्राप्त जवाब पर संस्थानीय स्तर पर गठित Disciplinary Committee द्वारा सम्बन्धित छात्रों से भी शिकायत के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। जिसके आधार पर निम्न निर्णय ली जाती हैं।

1	Ayush Ojha, Roll No. 20/CE, 6 th Semester	दोनों छात्रों को Rs. 15,000/- (Fifteen Thousand) प्रत्येक को अर्थदण्ड एवं कंडिका 3- Minor Punishment के (a) के तहत Black Mark किया जाता है।
2	Priyanshu Kumar, 6 th Semester, ECE	
1	Virendra Kumar, Roll No. 12/CE, 6 th Sem.	उल्लिखित तीनों छात्रों को Rs. 5,000/- (Five Thousand) प्रत्येक को अर्थदण्ड एवं कंडिका 3- Minor Punishment के (a) के तहत Black Mark किया जाता है।
2	Kumar Shivam, Roll No. 56/CE, 6 th Sem.	
3	Harsh Raj, Roll No. 43/CE, 6 th Semester	

Abhijit Kumar
प्रभारी प्राचार्य 30/05/23
राजकीय पोलिटेकनिक,
अररिया 30/05/23

ज्ञापांक :- 335/अररिया

दिनांक :- 30/05/2023

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्वद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।
3. सम्बन्धित छात्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
4. स्थापना/निबंधन शाखा रा०पो० अररिया।
को सूचनार्थ प्रेषित।

Abhijit Kumar
प्रभारी प्राचार्य 30/05/23
राजकीय पोलिटेकनिक,
अररिया 30/05/23

ज्ञापांक :- /अररिया

दिनांक :- /05/2023

कार्यालय आदेश

अद्योहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 212, दिनांक :- 22.05.2023 के आलोक में निम्न आरोपित छात्रों को 03 (तीन) दिनों के अन्दर अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था। प्राप्त जबाब पर संस्थानीय स्तर पर गठित Disciplinary Committee द्वारा सम्बन्धित छात्रों से भी शिकायत के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। जिसके आधार पर निम्न निर्णय ली जाती हैं।

1	Raju Kumar, Roll No. 7/ME, 4 th Semester	Rules की कंडिका 3- Major Punishment के (b) के अनुसार एक (01) वर्ष के लिए Academic Rustication किया जाता है।
---	--	---

Abhijit Kumar
प्रभारी प्राचार्य 30/05/23

राजकीय पोलिटेकनिक,
अररिया 30/05/23

ज्ञापांक :- 336 /अररिया

दिनांक :- 30 /05 /2023

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्वद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।
3. सम्बन्धित छात्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. स्थापना/निबंधन शाखा रा०पो० अररिया।
को सूचनार्थ प्रेषित।

Abhijit Kumar
प्रभारी प्राचार्य 30/05/23

राजकीय पोलिटेकनिक,
अररिया 30/05/23

ज्ञापांक :- /अररिया

दिनांक :- /05/2023

कार्यालय आदेश

अद्योहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 213, दिनांक :- 22.05.2023 के आलोक में निम्न आरोपित छात्रों को 03 (तीन) दिनों के अन्दर अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था। प्राप्त जबाब पर संस्थानीय स्तर पर गठित Disciplinary Committee द्वारा सम्बन्धित छात्रों से भी शिकायत के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। जिसके आधार पर निम्न निर्णय ली जाती है।

1	Vikash Kumar, Roll No. 22/ME, 4 th Semester	Rules की कंडिका 3- Major Punishment के (b) के अनुसार एक (01) वर्ष के लिए Academic Rustication किया जाता है।
---	---	---

Abhijit Kumar
प्रभारी प्राचार्य 30/05/23

राजकीय पोलिटेकनिक,
अररिया 30/5

ज्ञापांक :- 337 /अररिया

दिनांक :- 30/05/2023

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।
3. सम्बन्धित छात्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
4. स्थापना/निबंधन शाखा रा0पो0 अररिया।
को सूचनार्थ प्रेषित।

Abhijit Kumar
प्रभारी प्राचार्य 30/05/23

राजकीय पोलिटेकनिक,
अररिया 30/5/23